

एसईसी-1/187(2)/2026/2992

दिनांक: 26 अगस्त, 2026

लिस्टिंग विभाग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.	Corporate Relationship Department BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

विषय: स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जुर्माना लगाने के संबंध में सूचना।

महोदय/ महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियमों") के विनियम 30 के साथ पठित अनुसूची III के अनुसरण में, इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" / "कंपनी") को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") से 25 अगस्त, 2026 के नोटिस प्राप्त हुए हैं, जो 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान निदेशक मंडल और उसकी समितियों के गठन से संबंधित सूचीकरण विनियमों के कुछ प्रावधानों के गैर-अनुपालन (नियमों के उल्लंघन) के संबंध में हैं। एनएसई और बीएसई दोनों द्वारा ऐसे गैर-अनुपालन के लिए प्रत्येक पर ₹10,77,340/- का जुर्माना लगाया गया है।

इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि, आरईसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते और इसके संघ के अनुच्छेद 91 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है जो अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं और कंपनी की निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। हालाँकि, कंपनी समय-समय पर कंपनी के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध करती रही है।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,

आरईसी लिमिटेड के लिए

Digitally Signed

(दिनेश गर्ग)

कंपनी सचिव और

अनुपालन अधिकारी

उपरोक्तानुसार

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता
लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा

राज्य कार्यालय : वडोदरा

प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद